# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , बुण्डू (राँची)

## RM वाद संख्या– 29/11–12

## छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा46(i)a

22.1.15

## आदेश

| | | |
|---|---|---|
| विक्रेता का नाम | – | रंजित सिंह विंझिया ,पिता–स्व0 झरी सिंह विंझिया |
| पता | – | ग्राम–तैमारा ,पो0–तैमारा ,थाना–बुण्डू ,जिला–राँची। |
| जाति | – | विंझिया। पेशा–खेती |
| क्रेता का नाम | – | सुनील कुमार एक्का, पिता–श्री डेमना एक्का |
| पता | – | ग्राम–लावगा ,पो0–हांजेद ,थाना–बुण्डू ,जिला–राँची। |
| जाति | – | उराँव। पेशा–खेती |
| अधिवक्ता का नाम | – | श्री गिरेश्वर महतो। |

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i) a के तहत विक्रेता ने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–15.10.14 को निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी।

### भूमि का विवरण

| मौजा | थाना | थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| तैमारा | बुण्डू | 81 | 133 | 497 | 01.72ए0 मध्ये 0.15ए0 |

आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , बुण्डु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई एवं आम इस्तेहार भी निर्गत कार्यालय पत्रांक–19(ii) दिनांक–18.01.12 के द्वारा किया गया।

अंचल अधिकारी ,बुण्डू के पत्रांक–19(ii) दिनांक–18.01.12 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्न है :–

प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। खतियानी रैयत का नाम मोस्मात लखीया खाता नं0–133 ,प्लॉट नं0–497 दर्ज है। पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम रंजित सिंह विंझिया पिता–स्व0 झरी सिंह विंझिया दर्ज है।

आवेदक मकान बनाने हेतु प्रति डिसमील 13,000(तेरह हजार) रूपये की दर से बिक्री करना चाहते हैं।

दोनों क्रेता एवं विक्रेत अ0ज0जा0 के सदस्य है ,एवं एक ही थाना क्षेत्र बुण्डू के निवासी हैं।

22/1/15

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी ,बुण्डू ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a के तहत विक्रेता रंजित सिंह विंझिया ,पिता–स्व0 झरी सिंह विंझिया जाति–विंझिया ,ग्राम–तैमारा ,पो0–तैमारा ,थाना– बुण्डू ,जिला– राँची को क्रेता सुनील कुमार एक्का, पिता–श्री डेमना एक्का जाति–उराँव, ग्राम–लवगा ,पो0–हांजेद, थाना–बुण्डू ,जिला–राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–15.10.14 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी ,बुण्डू की अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त आवेदित भूमि की विवरणी को विक्रेता रंजित सिंह विंझिया ,पिता–स्व0 झरी सिंह विंझिया जाति–विंझिया ,ग्राम– तैमारा ,पो0–तैमारा ,थाना– बुण्डू ,जिला– राँची को क्रेता सुनील कुमार एक्का, पिता–श्री डेमना एक्का जाति–उराँव, ग्राम–लवगा ,पो0–हांजेद, थाना–बुण्डू ,जिला–राँची के हाथो बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a के तहत आदेश दी जाती है। प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर करेंगे।

**भूमि का वितरण**

| मौजा | थाना | थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| तैमारा | बुण्डू | 81 | 133 | 497 | 01.72ए0 मध्ये 0.15ए0 |

लेखापित एवं संशोधित

22/1/15

**भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,**
**बुण्डू राँची।**

22/1/15

**भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,**
**बुण्डू राँची।**

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.21 12:08:27 +05:30
Location: 192.168.59.216